266

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1052] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2002/अग्रहायण 21, 1924

No. 1052] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2002/AGRAHAYANA 21, 1924

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1310 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ छियासठवां संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,-

(क) ''रक्षा मंत्रालय'' शीर्षक के अधीन, ''क. रक्षा विभाग'' उपशीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

''17. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

(i) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;

(ii) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मो, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉय मूरिंग (एस.बी.एम.), क्रूड आइल टर्मिनल (सी.ओ.टी.) और पाइपलाइनों जैसी सम्बद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;

(iii) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;

(iv) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और

(v) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मो के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 द्वारा सशक्त की गई है।'';

(ख) ''पोत परिवहन मंत्रालय'' शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''14क. प्रदूषण निवारण व नियंत्रण:

(i) समुद्र में पोतों, जिनके अंतर्गत पत्तन क्षेत्र भी है, ध्वस्त पोतों और परित्यक्त पोतों से उत्पन्न प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;

(ii) पोतों से उत्पन्न प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उसकी रोकथाम के संबंध में विधान का अधिनियमन और प्रशासन; और

(iii) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण को मानीटर करना और उससे बचने के प्रत्युपाय करना।''।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2002-मंत्रि.]
अतुल कौशिक, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2002

S.O. 1310 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-sixth Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule —

(A) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)", for entry 17, the following entry shall be substituted, namely:—

"17. All matters relating to Coast Guard Organisation, including:

(i) Surveillance of maritime zones against oil spills;

(ii) Combating oil spills in various maritime zones, except in the waters of ports and within 500 metres of offshore exploration and production platforms, coastal refineries and associated facilities such as Single Buoy Mooring (SBM), Crude Oil Terminal (COT) and pipelines;

(iii) Central Coordinating Agency for Combating of Oil Pollution in the coastal and marine environment of various maritime zones;

(iv) Implementation of National Contingency Plan for oil spill disaster ; and

(v) Undertaking oil spill prevention and control, inspection of ships and offshore platforms in the country, except within the limits of ports as empowered by the Merchant Shipping Act, 1958.";

(B) Under the heading "MINISTRY OF SHIPPING (POT PARIVAHAN MANTRALAYA)", after entry 14, the following entry shall be inserted, namely:—

"14A Prevention and control of pollution:

(i) Prevention and control of pollution arising from ships, shipwrecks and abandoned ships in the sea, including the port areas;

(ii) Enactment and administration of legislation related to prevention, control and combating of pollution arising from ships; and

(iii) Monitoring and combating of oil pollution in the port areas.".

A.P.J. ABDUL KALAM, PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2002-CAB]
ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.